



## राजस्थान सरकार



कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सीकर

Email: Principal.mc.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक:मेडि.कॉलेज/संस्था/राज0/2021/108

दिनांक:-21.06.2021

### कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक SKMC/Estt./2021/44 दिनांक 04-05-2021 के अनुसरण में प्रस्तुत किये गये आवेदनों के तहत श्री कल्याण राजकीय मेडिकल सीकर कॉलेज हेतु अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर विभिन्न पदों के लिए दिनांक 08-05-2021,21-05-2021,28-05-2021 एवं 29-05-2021 को आयोजित साक्षात्कार (Walk -In -Interview) में से चयनित तथा इस कार्यालय द्वारा निदेशक, राजमेस को लिखे पत्रांक मेडि. कॉलेज/संस्था/2021/61,78 एवं 91 दिनांक 11-05-2021,24-05-2021 एवं 29-05-2021 तथा निदेशक, राजमेस के पत्र क्रमांक F1(26)RajMES/Estt./UTBFaculty/Sikar/2017/1260,1403 एवं 1516 dated 26-05-2021,07-06-2021 एवं 17-06-2021 की अनुपालना में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित पद पर एवं नीचे अंकित शर्तों पर एतद् द्वारा आवश्यक/अस्थाई (यू.टी.बी.) के आधार पर श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर में 6 माह अथवा नियमित चिकित्सक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक नियुक्ति प्रदान की जाती है।

S.No.	Candidate Name	DOB	Subject	Designation
1	Dr. Sushil Kumar Bakolia	19/09/1980	Paediatrics	Assistant professor
2	Dr.Subhash Chandra	02/02/1978	Pathology	Assistant professor
3	Dr.Sangeeta Gahlot	20/07/1983	Microbiology	Assistant professor
4	Dr.Priyanka Dotasara	01/05/1989	Pathology	Senior Demonstrator
5	Dr.Indira Sahu	09/11/1985	Pathology	Senior Demonstrator
6	Dr. Vishal Singh Bhati	26/12/1994	Pathology	Senior Demonstrator
7	Dr.Bishnoi Chauthi Jaykishan	05/07/1994	Microbiology	Senior Demonstrator
8	Dr. Priyanka Choudhary	04/10/1992	Microbiology	Senior Demonstrator
9	Dr. Pooja Choudhary	06/10/1995	Pharmacology	Senior Demonstrator
10	Dr. Manish Kumar	10/11/1994	Forensic Medicine	Senior Demonstrator
11	Ms.Anshul Pandey	17/01/1995	Community Medicine	Stastistician Cum Tutor

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी :-

1. उपरोक्त नियुक्ति 6 माह अथवा नियमित चिकित्सक शिक्षक उपलब्ध होने जो भी पहले उपलब्ध हो तक पूर्णतया अस्थाई आधार (यू.टी.बी.) पर होगी।
2. एन.एम.सी निरीक्षण में अयोग्य/अमान्य घोषित किये जाने पर इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
3. राज्य सरकार/अन्य संस्थान में सेवारत अभ्यर्थी(नियमित/यू.टी.बी./संविदा) को कार्यग्रहण के समय उनके नियुक्ता अधिकारी से कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।
4. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अंदर कन्डीशन) एम्प्लोएमेन्ट रूल्स, 2017 राजमेस पत्रांक प1(79)DME/Estt/2017/Part-II/2759 dated 02-12-2019 एवं समय समय पर जारी अन्य आदेश लागू होंगे।

5. उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश की दिनांक से 7 दिवस में अपनी उपस्थिति प्राचार्य एवं नियंत्रक श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, साँवली, सीकर के यहां प्रस्तुत करनी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि NMC/MCI का आगामी दिवसों में निरीक्षण संभावित है। अतः कार्यग्रहण काल में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। 7 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।
6. उपरोक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से एक माह के अन्दर अपने पूर्वाचरण के सम्बन्ध में अपने अंतिम शैक्षणिक महाविद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र के साथ ही दो प्रतिष्ठित नागरिकों से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे व साथ ही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ कार्यग्रहण के समय ही अभ्यर्थी को मेडिकल परीक्षण मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी के द्वारा यदि एक माह में उपरोक्तानुसार चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं अथवा उसका चरित्र अथवा मेडिकल परीक्षण नियोजन के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाएँ बिना कोई नोटिस दिए समाप्त किये जाने के योग्य होगी।
8. अभ्यर्थी कार्य ग्रहण के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा सोसायटी में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है तथा उसने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दिनांक 01/08/2020 को या उसके बाद NMC/MCI निरीक्षण में कही भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है व उसे नियुक्ति की सभी शर्तें मान्य हैं।
9. अभ्यर्थी को राजस्थान सरकार/राजमेस के नियमानुसार निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा।
10. अभ्यर्थी के सभी शैक्षणिक/कार्यानुभव/एकेडमिक/पब्लिकेशन/जन्मतिथि/आरक्षण जाति के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मेडिकल कॉलेज सीकर द्वारा ड्यूटी ज्वॉइन करते समय किया जावेगा व सही पाये जाने पर ही नियुक्ति दी जायेगी।

(डॉ० के० के० वर्मा)

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर

दिनांक:-21.06.2021

क्रमांक:मेडि.कॉलेज/संस्था/राज0/2021/108

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीमान शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक राजमेस, जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. श्रीमान निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
5. अधीक्षक, श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, सीकर।
7. लेखा शाखा कार्यालय।
8. नोडल अधिकारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।
9. कार्यालय पत्रावली।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक